



कृषि विज्ञान केन्द्र, अलवर-1, नौगांवा

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)



नौगांवा – 301025, अलवर (राजस्थान), दूरभाष-01468-294276, Email:- kvknavgaon@gmail.com

कं/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2022-23/509 नौगांवा, (अलवर) दिनांक : 28.03.2023

खुली निलामी सूचना

खुली निलामी सूचना कंमांक/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./2022-23/509		दिनांक: 28.03.2023
1. कार्य का नाम	अनुपयोगी सामग्री की खुली निलामी सूचना	
2. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	दिनांक 12.04.2023 को दोपहर 11.30 बजे तक 21000/- नगद जमा कर निलामी में भाग ले सकते हैं।	
3. कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा पर उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री (कुल पुस्तक मुल्य 1046644.00 रु.)	
4. उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री को देखने का दिनांक व समय	कार्यालय समय के दौरान	
5. खुली निलामी की दिनांक व समय	12.04.2023 को दोपहर 11.30 बजे	
6. पत्राचार हेतु पता-वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर	फोन नं.: 01468-294276 (कार्यालय) मोबाईल नं- 9424275467 Email:- kvknavgaon@gmail.com	

निलामी की शर्त:-

1.	प्रस्तावित निलामी के लिए इच्छुक बोलीदाता कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर स्वयं उपस्थित होकर बोली से पूर्व धरोहर राशि जमा कर खुली बोली में भाग ले सकते हैं।
2.	प्रस्तावित खुली निलामी कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर पर उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री की जहां है जैसा है के अनुसार की जावेगी किसी भी प्रकार की टुट-फूट/खराब या अन्य कोई कमी पाई जाने की जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा की नहीं होगी।
3.	अनुपयोगी सामग्री में प्रक्षेत्र पर टैक्टर, ट्राली, डिस्क प्लाउ, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल एवं अन्य कार्यालय अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री, किसान घर के बेड, टेबल, एवं ई-वेस्ट के अतिरिक्त अन्य अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री की खुली निलामी से बोली द्वारा बेचान किया जावेगा।
4.	निलामीदाता को प्रस्तावित खुली निलामी की सामग्री को कार्यालय सूची के अनुसार उठाना होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी।
5.	खुली निलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को ले जाने की केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। तथा अपने स्वयं के खर्च पर ले जाना होगा।
6.	बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात एवं पूर्ण राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ले जाना होगा।
7.	खुली निलामी अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री/सामान की अन्तिम बोली स्वीकृत होने के पश्चात बोलीदाता को निलामी बोली की कुल स्वीकृत राशि उसी समय कार्यालय में जमा कराना होगा। स्वीकृत राशि जमा नहीं करवाने पर बोलीदाता की जमा की धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8.	बोलीदाता द्वारा उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना नहीं करने पर बोलीदाता की जमा शुदा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

9.	बोलीदाता द्वारा निलामी राशि पर नियमानुसार जौ भी टेक्स होगा बोलीदाता को निलामी राशि के साथ देना होगा।
10.	निलामीदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी, कार्यालय की शर्तों के अनुरूप खुली निलामी की जावेगी।
11.	निलामी में भाग लेने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं शर्तों के अनुसार सहमत होने पर भाग लेंगे।
12.	बोलीदाता द्वारा बोली में भाग लेने के लिए बोली से पूर्व कार्यालय में धरोहर राशि 21000/- (रुपयें इक्कीस हजार) रूपये नगद जमा कराने होगी।
13.	निलामी सम्बन्धि किसी भी प्रकार के विवाद होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगांवा, जिला अलवर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
14.	अनुपयोगी सामग्री/नकारा सामग्री को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में ले जाना होगा। जौ कार्यालय समय के दौरान उठाना होगा।
15.	किसी भी निलामी को पूर्ण अथवा पार्ट में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
16.	निलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित है।
17.	समस्त बोलीदाताओं को अपने मूल पते सहित फोटो पहचान पत्र व पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति बोली से पूर्व धरोहर राशि के साथ जमा कराना होगा।
18.	किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/ जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर लागु होने पर बोलीदाता को जमा कराना होगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता



Senior Scientist & Head
KVK, ALWAR-1

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष